

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री शारदा सिंह कार्यपालक निदेशक (मा०सं०) छ०रा०वि०हो०क०मर्या०, रायपुर
दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

अपील प्रकरण क्रमांक

02/2016 दिनांक 28.01.2016

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

c/o श्री मेवालाल देवदास

अपीलार्थी

वार्ड क्रमांक-03 अयोध्या नगर,

महासमुन्द, छत्तीसगढ़

पिन नंबर- 493445

विरुद्ध

श्री एस. आर. बांधेय

जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)-दो

प्रतिअपीलार्थी

छ०रा०वि०हो०क०मर्या०, डंगनिया-रायपुर

-:: आदेश ::-

(दिनांक 23.02.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह की ओर से प्रकरण पर अपील जनसूचना अधिकारी, छ.रा.वि.हो. कं.मर्या., रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2016 दिनांक 28.01.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 09.12.2015 के माध्यम से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जो निम्नलिखित है-

- (1) छ.रा.वि.कम्पनीज में प्रशिक्षण अवधि में कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।
- (2) छ. रा. वि. कम्पनीज में प्रशिक्षु अवधि में कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही हेतु स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।
- (3) वर्ष 2007 से अब तक विद्युत कम्पनीज में प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री के नाम एवं पदस्थापना की जानकारी।
- (4) छ. रा. वि. कम्पनीज प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री को निलंबित करने वाले अधिकारी के नाम एवं पद की जानकारी।
- (5) विद्युत कम्पनीज, में प्रशिक्षु अवधि में निलंबित कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री, को नियमित आदेश अग्रेषित एवं नियमित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही बाबत स्थापित नियमों की सत्यापित दस्तावेज।

अतः जनसूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक में चाही गई जानकारी के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः दिया जाना संभव नहीं है, जिससे अपीलार्थी संतुष्ट नहीं है।